संख्या: 51 /XXX(2)/2020-55(2)/2001

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(राधिका झा)
सचिव,
मा. मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक: 05 मई फरवरी, 2020

विषय: उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवा संवर्गों के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो, भाग दो से चार के मूल नियम 56 में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताये तीन मास की नोटिस अथवा तीन माह का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति प्राविधानित है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 131/कार्मिक–(2)/2002 दिनांक 20 फरवरी, 2002 एवं शासनादेश संख्या 217/XXX(2)/2017/55(2)/2001 दिनांक 06 जुलाई, 2017 तथा शासनादेश संख्या 256/XXX(2)/2019-55(2)/2001 दिनांक 14 अगस्त, 2019 को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवा संवर्गों के अन्तर्गत कार्यरत 50 वर्ष की आयु प्राप्त सरकारी सेवकों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु निम्नवत् मार्गदर्शक सिद्धान्त गठित किये जाते हैं :–

<u>स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन</u>

(1) ऐसे सरकारी सेवकों जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं :–

(क) विभागाध्यक्ष एवं अपर विभागाध्यक्ष;

(I)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	–	अध्यक्ष
(II)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग	–	सदस्य
(III)	प्रशासकीय विभाग के सचिव	–	सदस्य

(ख) उत्तराखण्ड सिविल सर्विस (कार्यकारी शाखा) के अधिकारी (स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर सहित);

(I)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	–	अध्यक्ष
(II)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग	–	सदस्य
(III)	मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड	–	सदस्य

(ग) उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में;

(I)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	–	अध्यक्ष
(II)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग	–	सदस्य
(III)	सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग	–	सदस्य

(घ) विभागाध्यक्ष एवं अपर विभागाध्यक्ष से भिन्न अधिकारियों के सम्बन्ध में;

(I)	प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	–	अध्यक्ष
(II)	सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग	–	सदस्य
(III)	सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष	–	सदस्य

(2) ऐसे सरकारी सेवकों जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न हैं :–

(क) जहाँ विभागाध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी हों;

(I)	अपर विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा नामित वरिष्ठतम अधिकारी	–	अध्यक्ष
(II)	विभागाध्यक्ष द्वारा नामित दो अन्य अधिकारी	–	सदस्य

(ख) विभागाध्यक्ष से भिन्न नियुक्ति प्राधिकारी;

(I)	विभागाध्यक्ष द्वारा नामित तीन अधिकारियों में से वरिष्ठतम अधिकारी	–	अध्यक्ष
(II)	विभागाध्यक्ष द्वारा नामित अन्य दो अधिकारी	–	सदस्य

3. राज्याधीन ऐसे सेवा संवर्ग जहाँ नियुक्ति प्राधिकार राज्यपाल में निहित है, ऐसे सेवा संवर्गों में सम्बन्धित विभाग के सचिव/सचिव(प्रभारी) सदस्य सचिव के रूप में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष सम्बन्धित कार्मिकों के सम्पूर्ण संगत सेवा अभिलेखों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। यदि किसी विभाग में सचिव/सचिव(प्रभारी) तैनात न हों, उस स्थिति में सम्बन्धित विभाग के अपर सचिव स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक के सम्पूर्ण संगत सेवा अभिलेखों के विवरण पर सम्यक विचारोपरान्त संस्तुति नियुक्ति प्राधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित की जायेगी।

4. स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति पर सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उचित माध्यम से इस आशय के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री/मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा और तदनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

5. अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु सम्बन्धित सरकारी सेवक के सेवाकाल के समस्त संगत सेवा अभिलेखों को देखा जायेगा किन्तु विशेषतः अन्तिम दस वर्षों के अभिलेखों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। ऐसी समीक्षा इस दृष्टिकोण से की जायेगी कि सरकारी सेवक की कार्य दक्षता/सत्यनिष्ठा का स्तर ऐसा है, जिसके आधार पर उसे जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना अपरिहार्य हो।

6. स्क्रीनिंग कमेटी की कार्यवाही सम्पन्न कराये जाने का उत्तरदायित्व मूलतः नियुक्ति प्राधिकारी का होगा, जिनके द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी की कार्यवाही प्रतिवर्ष माह नवम्बर तक सम्पन्न करा ली जाएगी।

7. स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की गयी समीक्षा/संस्तुति नियुक्ति प्राधिकारी को संदर्भित कर दी जायेगी एवं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष 15 जनवरी तक अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पारित कर लिए जायेंगे।

8. स्क्रीनिंग कमेटी का कोई विधिक स्टेटस नहीं होगा बल्कि प्रतिवर्ष सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के समाधान में सहायतार्थ रहेगी।

9. अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गुजरात राज्य बनाम उम्मेद भाई एम. पटेल AIR 2001 SC 1109 में मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि :–

(क) लोक सेवक की सेवा सामान्य प्रशासन के लिए उपयोगी नहीं रह गई है तो ऐसे लोक सेवक को लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

(ख) साधारणतया अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत दण्डस्वरूप नहीं माना जायेगा।

(ग) अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु छटनीशुदा कार्मिक के सेवा के सम्पूर्ण रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर आदेश पारित किया जाना चाहिए और उसे यथोचित वरीयता देनी चाहिए।

(घ) गोपनीय रिकॉर्ड में असंसूचित प्रविष्टि पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(ड.) विभागीय जॉच से बचने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश ऐसे संक्षिप्त तरीके से पारित नहीं किया जाना चाहिए, जहॉ पर जॉच की कार्यवाही वॉछनीय हो।

(च) अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु विचाराधीन किसी कार्मिक को गोपनीय प्रविष्टि में प्रतिकूल प्रविष्टि के बावजूद भी यदि पदोन्नति दी गयी हो तो वह कार्मिक के पक्ष में एक महत्वपूर्ण तथ्य होगा।

10. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा बृजमोहन सिंह चोपड़ा बनाम पंजाब राज्य AIR 1987 SC 948 और वैद्यनाथ महापात्रा बनाम उड़ीसा राज्य AIR 1989 SC 2218 में निम्न सिद्धान्त विहित किये गये हैं :–

(क) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दण्ड नहीं है।

(ख) आदेश लोकहित में पारित किया जाना चाहिए। सरकार का निर्णय व्यक्तिपरक (Subjective) होना चाहिए।

(ग) ऐसे मामलों में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का कोई स्थान नहीं है। न्यायालय मनमानेपन के विरूद्ध जांच कर सकते हैं।

(घ) सरकार या पुनर्विलोकन समिति निर्णय लेने के पूर्व सेवक के पूर्ण रिकॉर्ड पर विचार करेगी। विशेषकर बाद के वर्षों का।

11. अनिवार्य सेवानिवृत्ति सम्बन्धी आदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो, भाग दो से चार के मूल नियम–56(ग) के अन्तर्गत संलग्न प्रारूप के अनुसार निर्गत किये जायेंगे।

12. अनिवार्य सेवानिवृत्ति सम्बन्धी निर्णयों की सूचना प्रशासनिक विभाग के सचिव के माध्यम से प्रतिवर्ष 31 मार्च तक कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराई जायेगी। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्याः (1)/XXX(2)/2020-55(2)/2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त (गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल) पौड़ी/नैनीताल।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
8. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
9. सचिव, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
10. निबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
11. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किये जाने के प्रालेख, जिनके नियुक्त प्राधिकारी राज्यपाल से कोई भिन्न अधिकारी है

नोटिस का प्रालेख

समय–समय पर यथासंशोधित फाइनेन्सियल हैण्ड बुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन प्राधिकारी का प्रयोग करके मैं (*) ..... जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति अधिकारी हूँ, जिस पर आप आरूढ़ हैं एतद्द्वारा नोटिस देकर आप से लोकहित में अपेक्षा करता हूँ कि आप (**) ----------इस नोटिस के आप पर तामील होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त होने पर सेवानिवृत्त हो जायें।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पदनाम

(*) यहाँ पर नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाय।

(**) यहाँ पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाय (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा हो, स्थानापन्न हो, तो उसका इसी रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए)

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये अध्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (*)----------(जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है), को दिये गये नोटिस दिनांक----------के क्रम में मैं (**) ----------जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूँ, जिस पर उक्त व्यक्ति आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूँ कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होंगे और वे नोटिस की शेष अवधि के स्थान पर उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते, यदि कोई हो, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पदनाम

(*) कर्मचारी का नाम व पद नाम।

(**) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम व पद नाम।

नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये अध्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (*)----------जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूँ, जिस पर श्री (**)---------- आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूँ कि श्री (**) ----------इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्ष
तथा पदनाम

(*) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम, यदि प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न हों।
(**) कर्मचारी का नाम।

ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति किये जाने के आदेश के प्रालेख, जिसके नियुक्त प्राधिकारी राज्यपाल हैं

नोटिस का प्रालेख

समय–समय पर यथासंशोधित फाइनेन्सियल हैण्ड बुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि आप (*)---------- इस नोटिस के आप पर तामील होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त हो जाने पर सेवा से निवृत्त समझे जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से
सचिव।

(*) यहाँ पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाय (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा है स्थानापन्न हो, तो इसी रूप में इसका उल्लेख कर दिया जाना चाहिए)।

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख–

फाइनेन्सियल हैण्डबुक खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (*)----------(जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है), को दी गयी नोटिस दिनांक.....के क्रम में राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होंगे और वे नोटिस को शेष अवधि के स्थान पर उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते, यदि कोई हों, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सचिव।

नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख–

फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि श्री (*)———————— इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सचिव।

(*) उस कर्मचारी का नाम व पदनाम जिस पर आदेश तामील होता है।